

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

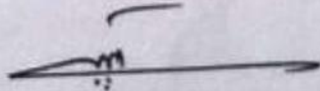
Dated 17/01/2019

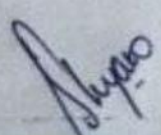
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **08-16-83 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Sh. Shyam Kumar Thakur, Mining Contractor, District Bilaspur for the Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I Seer Khad** in Bilaspur district falls within the jurisdiction of Jhereri village in Jhandutta Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **08-16-83** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure I to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.


Vivek Bhatia (I.A.S.)
Deputy Commissioner
Distt. Bilaspur (H.P.)


SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

Annexure - III 37

Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Vivek Bhatia (I.A.S.) Deputy Commissioner, Bilaspur on 17-01-2019, 10-30 A.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	<u>08-16-83 hectare</u>	Diversion of Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I in Seer Khad.
2.	<u>1-16 hectare</u>	Diversion of Link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960.
3.	<u>0-28-20 hectare</u>	Diversion of Link road Jeora to Rohal via Lehar.
4.	<u>0-95-55 hectare</u>	Diversion of Link road Bhager Vijaypur Chounta Road to Khujal road.

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)

2. Pushpa Kumari,
Zila Parishad. (Member)

3. Meena Devi,
Zila Parishad. (Member)

4. Saroj Bhal Patel, D.F.O.,
Distt. Bilaspur(H.P.)
(Member)

5. Sravan Manta,
Additional District Magistrate,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

6. Vivek Bhatia (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

39

Annexure - II

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C), JHANDUTTA
DISTRICT BILASPUR (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional level Committee constituted under Scheduled Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Divisional level Committee Jhandutta Sub Division constituted under Forest Right Act. 2006 was held under the Chairmanship/chairpersonship of Sub Divisional Officer (C), Jhandutta on 17-09-2018 at 12-00 Noon at Jhandutta in which the application(s) claiming rights in 08-16-83 Forest areas under Forest Right Act. 2006 of the following applicant, duly processed and recommended by the Forest Right Committee of Minor Mineral extraction of Sand. Stone and Bajri from Jhareri-I Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District level Committee.

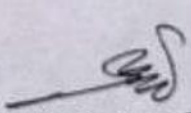
After scrutiny of the documents and detailed discussion the following decision were taken on each application.

Name of Applicant
Sh. Sh. Shyam Kumar Thakur,
Mining Contractor, District
Bilaspur (HP).

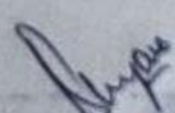
✓

Decision (Recommended/Not
Recommended.

Place: Jhandutta
Dated: 19-09-2018



Sub Divisional Officer (C),
Jhandutta, District
Bilaspur (HP) 



SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

संख्या: बीएलएस-एडीआरए-1(855)/2018
कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

बिलासपुर, दिनांक 29/01/2019

प्रेषक:

उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

प्रेषित:

अध्यक्ष,
उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं
उप-मण्डल अधिकारी (ना०) प्रमुखता,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

विषय:-

FRA Certificate (Under FRA 2006) of following Scheme.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या: जेएचडी-एफआरए /2018-3931 दिनांक 26.11.2018 व पत्र संख्या: जेएचडी-एफआरए-(1)/2018-164 दिनांक 14.01.2019 के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.01.2018 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए एफओआरएओ प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है:-

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	<u>08-16-83 hectare</u>	Diversion of Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I in Seer Khad.
2.	<u>1-16 hectare</u>	Diversion of Link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960.
3.	<u>0-28-20 hectare</u>	Diversion of Link road Jeora to Rohal via Lehar.
4.	<u>0-95-55 hectare</u>	Diversion of Link road Bhager Vijaypur Chounta Road to Khurjal road.

महदीय,

हस्ता

(देवीराम)

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।
दिनांक 29/1/2019

पूरठासल संख्या:- यथोपरि-
प्रतिलिपि:-

5855

2.

श्री श्याम कुमार पुत्र श्री सीता राम (Mining Contractor) गांव टिक्करी, डा० पंजगाई तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि०प्र० को उपरोक्त वर्णित कनांक 1 से सम्बन्धी एफओआरएओ प्रमाण पत्र सहित ।
अविशासी अनियन्ता, हि०प्र० सो० नि० वि० मण्डल धुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र० को उपरोक्त वर्णित कनांक 2 से 4 तक वर्णित एफओआरएओ प्रमाण पत्र सहित ।

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

हिमाचल प्रदेश सरकार

आज दिनांक 17.9.2018 को उपवास स्कीम
Scheduled Tribe & others Traditional & Forest
Dwellers Recognition of Forest Act 2006 के तहत
के तहत उपवास स्कीम (जा) - कबुला की अधिनियम में
सफल जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

S.No	NAME & Designation	MOB. No.	Signature
1.	Sh. Anil Kumar Bhojpur	70187-61040	
2.	Sitth Ram Negi Member	94180 12650	
3.	Ashok Sharma R.Fo JhD.	70180 38227	
4.	Sumit Kauri - member	98058-22560	
5.	Anni Devi - Member	94184-79048	
6.	Bal Mukand Dy. Ranger	94180-33496	
7.	Shyam Kumar Thakur Mining Contractor.	94180 94610	
8.	Arjun Sharma T.W.O. JTA	94180 72076	

सर्वप्रथम अधिनियम अधिनियम ने सभी
उपस्थित सदस्यों को हस्ताक्षर किए गए उपवास
समय, वनपारिवेग अधिकारी से निम्न रिक्त वक्त.
2006 के तहत में उपवास सदस्यों को जानकारी दी।
इस तहत में निम्नलिखित में प्रस्ताव दिए जा चुका है:
जारी- 2 पट्टर उपस्थित सदस्यों को उपवास के लिए। तथा
उपवास स्कीम के तहत का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए
आवश्यकता के अनुसार जारी किए जा रहे हैं :-

1. C/O Link Road Dokra - Lehar to Nehi km 0/0 to 2/160 under P.M.G.S.Y.
2. C/O Jaura to Rohat via Lehar km. 0/0 to 3/00.
3. C/O Bhageri - vijaypur chauria Road to Link Road Khujraw.

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

हिमाचल प्रदेश सरकार

4. c/o Jhansi to Kharli Road Km. 9/10 to 9/345 under P.M.-G.S.Y.

5. minor mineral extraction of sand stone and Bajri from Jhansi-I. already awarded in favour of Sh. Shyam Kumar Thakur.

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं गैर सदस्यों सदस्यों से अंश भेजना है जो जलकारी है जो तथा समस्त कार्य समाप्त / समाप्त करने द्वारा अंशपति समाप्त कर करे जाया गया।
इसके अलावा अंशपति अंशपति ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि किसी व्यक्ति / समुदाय से आपाते इन अंशपति विलेन भेजना है वारा प्राप्त हुई है तो इस बैठक में चर्चा देना रखी जावे। फलस्वरूप किसी भी सदस्यों द्वारा ऐसा मतदान ध्यान में नहीं लाया गया।
अंतः अंशपति विलेन भेजना है के लिए उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अंशपति समाप्त कर जारी करने वाले अपनी संस्तुति व्यक्त की।
अंत में अंशपति अंशपति ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया तथा बैठक समाप्त हुई।

Sub Divisional Officer (C),
Jhansi, District Bilaspur (H.P.)

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
Jhansi, District Bilaspur (H.P.)

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

प्रपत्र-1 इरेडी तहसील
बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति इरेडी जिला विलासपुर, हि.प्र.01।

आल दिनांक 08-04-2018 को वन अधिकार समिति ग्राम इरेडी की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति नानक चन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	नानक चन्द	अध्यक्ष	इरेडी	ओ.बी.सी	
2.	पवन कुमार	सचिव	इरेडी	अ.ज.	
3.	कशमरी देवी	सदस्य	इरेडी	अ.ज.	
4.	कमला देवी	सदस्य	इरेडी	सामान्य	
5.	सुनीता देवी	सदस्य	इरेडी	सामान्य	
6.	वसुंधरा	सदस्य	इरेडी	अ.ज.	
7.	जीत राम	सदस्य	इरेडी	अ.ज.	
8.	मीना देवी	सदस्य	इरेडी	अ.ज.	
9.	प्रकाश चन्द	सदस्य	इरेडी	ओ.बी.सी	
10.	पुष्पा देवी	सदस्य	इरेडी	सामान्य	

बैठक सूची अस्तित्व में रखने

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री बलराम तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री अनन्त राम के साथ भूमि खसरा नम्बर

100 रक्बा 08-16-83 है० जिसके सन्दर्भ में सीर खड्ड इरेडी में खनन (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का, नाम)

श्री भाम कुमार ने बाहः है या मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तालीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) सीर खड्ड इरेडी में खनन हेतु समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम इरेडी के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीर खड्ड में खनन (इरेडी) के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रमाण, बलराम वन अधिकार समिति, सचिव, वन अधिकार समिति, पटवारी, अनन्त राम वन रक्षक

प्रमाण - सचिव
वन अधिकार समिति
गोपबंदी, (पत्र) बाणेश्वर
रिक्वा विभाग

प्रमाण - सचिव
वन अधिकार समिति
गोपबंदी, (पत्र) बाणेश्वर
रिक्वा विभाग

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

शरेडी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा

शरेडी

की बैठक आज दिनांक 08-04-2018 को

02PM

बजे, स्थान

शरेडी

में श्री/श्रीमति नानक चन्द

की अध्यक्षता में की गई जिसमें शरेडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत शारखड़ शरेडी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें शारखड़ शरेडी में रेत, बजरी, पत्थर निकालने (खनन) के निर्माण के लिए 08-16-83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)

बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			
3.			
4.			

बैठक में

वन अधिकार समिति

शरेडी

द्वारा

शारखड़ से रेत, बजरी, पत्थर निकालने (खनन) (उद्देश्य) के लिए

श्याम कुमार

(विभाग) के पक्ष में दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार

विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व गांव शरेडी में भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 08-16-83 हैक्टेयर को शारखड़ में खनन (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान

शरेडी

दिनांक

08-04-2018

प्रधान

[Signature]

वन अधिकार समिति

सचिव

[Signature]

वन अधिकार समिति

प्रमाण

5 11 5

1 1 1

8 3 1

सचिव

निति

प्रमाण

(08/04/2018)

प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति

गांव शरेडी, तहसील डण्डुवा

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

प्रपत्र-3

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006प्रस्ताव संख्या 05ग्राम सभा शेरी
प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 08-04-2018

ग्राम सभा शेरी की बैठक आज दिनांक 08-04-2018 को 2PM बजे, स्थान शेरी में श्री / श्रीमती नामक चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें शेरी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वीर खू में खनन जंगल/ वन क्षेत्र में जिसमें वीर खू विभाग द्वारा श्याम कुमार के निर्माण के लिए 08-16-83 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शेरी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शेरी
दिनांक 08-04-2018

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
ग्राम सभा प्रधान सचिव

वन अधिकार समिति

गांव शेरी, तहसील अण्डोला

जिला बिलासपुर (H.P.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्राजैविक/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Shyam
SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा भोरेडी

प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 05

दिनांक 08-04-2018

ग्राम सभा भोरेडी

की बैठक आज दिनांक 08/04/2018 को 2PM बजे स्थान भोरेडी

में श्री/श्रीमति मानक चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें भोरेडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वीर खड्ड में खनन जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य) वीर खड्ड भोरेडी में रेत, बजरी, पत्थर (खनन) के निर्माण के लिए 08-16-83 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की शिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र. सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धारा
		<u>सी।</u>	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड 4 रतार की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र. सं०	पात्र गांव वासी का नाम
	<u>सी।</u>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को गिरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार भोरेडी जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान भोरेडी

अधिकृत अ.क.

दिनांक 08-04-2018

ग्राम सभा

प्रधान

सचिव

वन अधिकार समिति
गांव भोरेडी, तहसील डाण्डूता
जिला बिलासपुर (छिंदवाड़ा)

Shyam
SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

98

ग्राम सभा श्याम रंजन आदिवासी
 जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 2006
 वन अधिकार समिति श्याम रंजन
 ग्राम सभा गालिया

प्रतिलिपि प्रस्ताव

संख्या 05 दिनांक 08-04-2018
 ग्राम सभा गालिया की बैठक आज
 08-04-2018 को 2 PM बजे, स्थान पंचायत घर गालिया में
सुभाष चंद की अध्यक्षता में की गई जिसमें
 गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन भूखंड में (जिसमें
सीर खट्ट में खनन की स्वीकृति और (शेडी-1)
 के निर्माण के लिए 08-16-83 हैक्टयर वन भूमि के
 की गजरी प्रस्तावित है।) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:- 124/430

पात्र नांदवासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का व्यौरा

बैठक में वन अधिकार समिति सीर द्वारा
सीर खट्ट में खनन (शेडी-1) (उद्देश्य) के लिए श्याम कुमार ठाकुर (विभाग) के पक्ष में
 नये अनुसूचित प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव
 पेश किया गया कि राजरव गांव शेडी (Thaori) में भूमि खसरा नंबर
100 रकबा 08-16-83 हैक्टयर को खनन (उद्देश्य) के
 लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित
 जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत
 मान्यता लब्धित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अंतिम प्रमाण प्रस्तावित करती है।



SHYAM KUMAR THAKUR
 (MINING CONTRACTOR)
 DISTRICT BILASPUR (H.P.)

गालिया
 दिनांक 28/08/2018

प्रधान
सुभाष चंद

Blue 28/08/2018
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत
 जिला बिलासपुर (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्रस्ताव संख्या

05

ग्राम सभा

गालियाँ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

ग्राम सभा

गालियाँ

की

वैतक

आज

दिनांक

08-04-2018

को

02 PM

बजे, स्थान

पंचायत घर

में

श्री / श्रीमती

सुभाष चन्द

को अध्यक्षता में की गई जिसमें

वर

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें 22000 कुमीर ठेका विभाग द्वारा

सीर खडू में खनन प्रदर्श-1 के निर्माण के लिए 08-16-83 हैटरेयर वन भूमि

के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार

समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन

अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त

इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक



B.L. Singh

अधिकृत हस्ताक्षर कता

ग्राम सभा

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत

विकास समिति

Govt. High School Baroha

D.D.O. Code: 243

- ग्रामवासियों के नाम जिनको जिला वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

- सूचित जनजाति के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

दिनांक

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

1003

वन अधिकार समिति सेर ग्राम सेर

संख्या 23/08/2018 जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

दिनांक 23/08/2018 को वन अधिकार समिति ग्राम सेर

शायद श्री / श्रीमते सुरेश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हरताक्षर
<u>सुरेश सिंह</u>	<u>अध्यक्ष</u>	<u>सेर</u>	<u>राजपूत</u>	<u>सुरेश सिंह</u>
<u>सुरेश चन्द</u>	<u>सचिव</u>	<u>सेर</u>	<u>ब्रह्मपू</u>	<u>सुरेश चन्द</u>
<u>नीमला देवी</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>राजपूत</u>	<u>नीमला देवी</u>
<u>जगत राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>राजपूत</u>	<u>जगत राम</u>
<u>शीला देवी</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>ब्रह्मपू</u>	<u>शीला देवी</u>
<u>सुरेश कुमार</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>S.C</u>	<u>Surya Kumar</u>
<u>कर्म सिंह</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>S.C</u>	<u>Karm Singh</u>
<u>सुकुला देवी</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>S.C</u>	<u>Sukula Devi</u>
<u>रामा देवी</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>S.C</u>	<u>Rama Devi</u>
<u>मन्दीरा राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>सेर</u>	<u>S.C</u>	<u>Mandira Ram</u>

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री जलाल राम

विभाग के वन रक्षक श्री अनंत राम के साथ भूमि खसरा नम्बर

100 संख्या 08-16-83 के जिसके सन्दर्भ में

सीर खंड में खनन (क्षेत्री-1) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)

अनंत राम कुमार धनुर ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व

पुनर्बीन निम्न प्रकार से की गई:-

उक्त भूमि का नक्शा / तर्तीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया ।

उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे

तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।

उक्त भूमि पर गंदी भुज्जर या अन्य धुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के

समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि

पर नहीं है ।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) सीर खंड में खनन क्षेत्री-1

के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम सेर के अंतर्गत

भूमि प्रस्ताव के लिए उक्त भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

सीर खंड में खनन क्षेत्री-1 के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की

बाद उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता

अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

जाती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव

सही के अनुरूप है ।

अनंत राम

सचिव, वन अधिकार समिति, वन अधिकारी समिति सेर, तहसील सेर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

पटवारी जलाल राम पटवारी अनंत राम वन अनंत राम

संख्या 23-08-18

SHYAM KUMAR THAK (MINING CONTRACTOR) DISTRICT BILASPUR (H)

सचिव, वन अधिकार समिति, वन अधिकारी समिति सेर, तहसील सेर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

पटवारी जलाल राम पटवारी अनंत राम वन अनंत राम

(107)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत

ग्राम: सेर ग्राम सभा प्रस्ताव

ग्राम पंचायत: जाहलिया

विकास खण्ड: झुण्डा

जिला: बिलासपुर हि०प्र०

गणपूर्ति: _____ दिनांक: 08/04/2018

विषय: अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत सेर रबर भूमि के निर्माण हेतु _____ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 08-16-83 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिये सहमति प्रदान हेतु।

उपरोक्त विषय पर आज दिनांक 08/04/2018 को 24 बजे जाहलिया पंचायत ग्राम की ग्राम सभा (धारा 2(छ) की परिभाषा अनुसार) बुलाई गई। ग्राम जाहलिया में कुल 436 व्यक्त सदस्य हैं, जिनमें से कुल 124 व्यक्त सदस्य इस ग्राम सभा में उपस्थित थे। (व्यक्त सदस्यों की उपस्थिति हस्ताक्षरों के साथ सत्य है।)

ग्राम सेर में अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति धारा 2(ग) की परिभाषा अनुसार) तथा/अथवा अन्य परम्परागत (अन्य परम्परागत वन निवासी धारा 2(घ) की परिभाषा अनुसार) वन निवासी के परिवार रहते हैं। (आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न हैं।)

इस ग्राम सभा में वन निवासियों (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी) के वन अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की गई। उनके वन अधिकार औपनिवेशिक काल से अपर्याप्त-मान्यता प्राप्त हैं और उनका समाधान अति आवश्यक समझा गया।

उपर उद्धृत तथ्यों पर आधारित यह ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत _____ वन क्षेत्र के 08-16-83 हेक्टेयर वन भूमि में रबर के निर्माण का कृतसंकल्प करते हुए प्रस्ताव पारित करती है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि रबर के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के हस्तांतरण से किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी/समुदाय का उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत वर्णित वन अधिकारों का हनन नहीं होता है।

स्थान
दिनांक:



(नाम एवं हस्ताक्षर)

शुभाषिणी

28/08/2018

पंचायत सचिव

ग्राम ग्राम पंचायत

विभागीय एवं हस्ताक्षर

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

28/08/2018

वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति सेर

(नाम एवं हस्ताक्षर)

तहसील झुण्डा

जिला बिलासपुर हि०प्र०

28/08/2018

सचिव

वन अधिकारी समिति सेर

वन अधिकारी समिति

(नाम एवं हस्ताक्षर)

जिला बिलासपुर हि०प्र०

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

102

उपस्थिति (वन अधिकार समिति), ग्राम खैर

क्रमांक सदस्या	नाम	चितापति का नाम	पदनाम	श्रेणी (पुरुष, स्त्री, अनुसूचित जनजाति)	उम्र	हस्ताक्षर
1	धुसा सिंह		अध्यक्ष	N.S.C	73	
2	बैमबा चन्द		सचिव	N.S.C	47	
3	शीला देवी		सदस्य	N.S.C	62	
4	निकला देवी		सदस्य	N.S.C	47	
5	जगत राम		सदस्य	N.S.C	62	
6	सरोज कुमारी		सदस्य	S.C	42	
7	कर्म सिंह		सदस्य	S.C	54	
8	सुकुल देवी		सदस्य	S.C	50	
9	रामपथारी		सदस्य	S.C	50	
10	सन्साराम		सदस्य	S.C	72	
11	खीन्द सिंह		सदस्य		47	
12	नरेश कुमार	S/O दिल्ल सिंह	सदस्य	N.S.C	49	
13			सदस्य			
14			सदस्य			
15			सदस्य			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर आज दिनांक 23/08/2018 को उपस्थिति में किये गये।

स्थान खैर
दिनांक 23/08/2018

दिनांक



(नाम एवं हस्ताक्षर)

पंचायत अध्यक्ष
ग्राम पंचायत
(नाम एवं हस्ताक्षर)
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति
(नाम एवं हस्ताक्षर)
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

सचिव
वन अधिकार समिति
(नाम एवं हस्ताक्षर)
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

आज दिनांक 23/08/2018 के ग्राम पंचायत बालिगं के राजस्व गांव सेर के ग्राम समा स्था. स्था. सी. केसी के प्रधान श्री सुरत सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया तथा निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र. सं.	नाम व पता	जाति	गांव	हस्ताक्षर
1)	श्री सुरत सिंह S/O श्री साचूराम	N.S.C	रा. सेर	
2	श्रीमति किशोरावती	-	-	
3	राकेश कुमार S/O राज मिह	-	सेर	Kiran Kumar
4	मदन S/O बांसा राम	-	सेर	शिवदा कुमार
5)	अमर सिंह S/O दुलधराम	N.S.C	सेर	मदन लाल
6)	नरेश कुमार S/O दिलेर सिंह	N.S.C	सेर	अमर सिंह
7)	राम सिंह S/O प्रेम सिंह	N.S.C	सेर	
8)	सुनीता W/O लज्जत	N.S.C	सेर	Ram Singh
9	कपलाल S/O बांसा राम	-	सेर	Sumita Devi
10	मनोज कुमार S/O कलार मिह	N.S.C	सेर	Kapal
11	रमेश चंद्र S/O धनी राम	N.S.C	सेर	
12	मिता राज S/O बांसा राम	S.C	सेर	रमेश चंद
13	अशोक कुमार S/O मधु राम	N.S.C	सेर	Singh Rajan
14	रविश्वर कुमार S/O मधु राम	N.S.C	सेर	Ashok Kumar
15	अमर सिंह S/O मधु राम	N.S.C	सेर	
16	उमन सुभा S/O मधु राम	N.S.C	सेर	
17	जगत राम S/O मधु राम	N.S.C	सेर	
18	चमला देवी W/O जीत सिंह	N.S.C	सेर	चमला देवी
19	सुनम कुमारी W/O सुनीत	N.S.C	सेर	Poonam Kumari
20	सुनीता देवी W/O राम लाल	"	सेर	सुनीता देवी
21	उदय सिंह S/O श्री कनकराम	"	"	
22	मनोज कुमारी W/O राज कुमार	S.C	"	Saraj Kumar
23	निका राम S/O मदन सिंह	N.S.C	सेर	
24	कर्म सिंह S/O मधु राम	S.C	सेर	
25	उत्तम सिंह S/O श्री गणेश राम	N.S.C	"	
26	प्रमोद लाल S/O श्री गणेश राम	"	"	

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

- (27) मुकुन्द 212 S/O गोपीराम 212 NSC Mining Con
- (28) 212 S/O गोपीराम 212 OBC Mining
- (29) 212 S/O गोपीराम 212 SC Ram Lal
- (30) 212 S/O गोपीराम 212 NSC Lal Singh
- (31) 212 S/O गोपीराम 212 NSC Lal Singh
- (32) Gaincloud S/O Ramesh Kumar NSC Ser Gopal
- (33) मंगल 212 S/O 221/म/म 212 SC Bhanu
- (34) जयदेव 212 S/O 221/म/म 212 SC Bhanu
- (35) कर्म चन्द S/O महेन्द्र 212 SC Karm Ch
- (36) महेन्द्र 212 S/O महेन्द्र 212 NSC
- (37) Sanwan Kumar S/O Sanwan 212 SC Ser
- (38) Hardev Singh S/O Sh. Sanwan 212 SC Ser
- (39) Jaspal S/O Sh. Jagannath OBC Ser Jag Pal
- (40) Surender Singh S/O Sh. Dhani Ram NSC Ser Surender
- (41) Sanwan S/O Sh. Ramesh SC Ser Sanwan
- (42) Sharoutla w/o Sh. Ram Lal SC Ser Sharoutla
- (43) Ram Pyasi w/o Sharwan SC Ser Ram Pyasi
- (44) Tulsi Ram S/O Madan Ram SC Ser Tulsi Ram
- (45) Chota Ram S/O Jagannath NSC Ser Chota Ram
- (46) Ramesh Singh S/O Sh. Gangadhar NSC Ser Ramesh Singh
- (47) Malnit Singh S/O Sh. Dalu Singh NSC Ser Malnit Singh
- (48) Ajay Kumar S/O Sh. Krishan Lal NSC Ser Ajay Kumar
- (49) Shyam Singh S/O Sh. Anwar Singh NSC Ser Shyam Singh
- (50) Parveen Singh S/O Sh. Hari Singh NSC Ser Parveen Singh
- (51) Bandna Devi w/o Sh. Nagesh Kumar NSC Ser Bandna Devi
- (52) Angra Devi w/o Sh. Malnit Singh NSC Ser Angra Devi
- (53) Parveen Singh S/O Jagannath NSC Ser Parveen Singh
- (54) महेन्द्र 212 S/O महेन्द्र 212 NSC Ser
- (55) महेन्द्र 212 S/O महेन्द्र 212 NSC Ser

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

(105)

- (57) संजय कुमार S/ श्री प्रेम सिंह गांव सर OBC संजीव लुप्त
(58) पुंनुराम S/ श्री विष्णु राम गांव सर SC P.R.
(59) श्री प्रेम लाल S/ श्री परमेश्वर गांव सर OBC जेम्बुला
(60) सुखदेव S/ श्री जीत राम गांव सर SC सुखदेव
(61) लक्ष्मण सिंह S/ श्री बल्लभ राम गांव सर N.S.C जेम्बुला
(62) दिनेश कुमार S/ श्री हरनाम सिंह सर N.S.C (D)
(63) बलदेव सिंह S/ श्री गंगा राम सर N.S.C बलदेव
(64) बाली राम S/ श्री गोपी राम सर N.S.C बाली
(65) निर्मल देवी S/ श्री देव राम गांव सर S.C निर्मल
(66) प्रेमी देवी w/o वरमल
(67) प्रेमी देवी w/o पंसी राम
(68) Ritika Kumari w/o Sanjay Nayal v/p Ser. Ritika
(69) Sheeladevi w/o Sheer Singh N.C Ser. शीला
(70) Rashmi Devi w/o Anand Kumar N.C Ser. Rashmi
(71) Sharmila devi w/o Subhash Chaud N.C Ser. Sharmila
(72) Reema Devi w/o Sanjeev Kumar v/p Ser. Reema
(73) Rashmi Thakur w/o Anand Kumar v/p Ser. Rashmi

प्रस्ताव नं० 1 - स.ज.आर.सी. / स.क.आर.स. के द्वारा करे।

आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
सिंचाई के दौरान कोई भी दावा (आवेदन) प्राप्त
नहीं हुआ है। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव नं० 2 - विद्युत - अनापात प्रभाव पत्र करे।

आज की बैठक में विचार समिति के उपरान्त सर्वसम्मति से पारित
गया कि ह.फ. सखार द्वारा सीर खड्ड की खसरा नं० 100 की निवासी
जिसमें श्याम कुमार ठाकुर निवासी गांव हिली डा० पंजवाड़ी त.सूर नि
विलासपुर ह.फ. ने सखल खेती की एवं इन्हें ग्रह ठेका दिया।
हमें इस खड्ड निस्का की 18-16-83 हेक्टेयर है जो वन भूमि है जो
वाणिज्य उद्देश्य हेतु उपयोग में लाने के लिए पारवर्तित कर देना, व

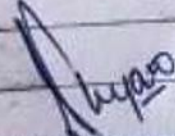
SHYAM
(MINING)
DIST

THAKUR
ACTOR
PUR (H)

(बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इस सिद्धे प्रस्तावित निमाण कार्य से किसी भी अनुसूचित जनजात और परम्परागत वन निवासी के हक प्रभावित नहीं होत, तथा किसी को भी प्रस्तावित निमाण कार्य पर कोई आपत्त नहीं है। अतः बड़े प्रस्तावित निमाण कार्य के अनापत्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


प्रधान
श्री सुरेश सिंह
प्रधान
वन अधिकार समिति सेर
तहसील इन्द्रा
जिला लखीमपुर (H.P.)

रमेश कर्मा
जिला
वन अधिकार समिति सेर
तहसील इन्द्रा
जिला लखीमपुर (H.P.)


SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

प्राप्त...

नकल प्रस्ताव

दिनांक.....

आज दिनांक 08-04-2018 को ग्राम पंचायत गालियां की बैठक प्रधान श्री/श्रीमती सुभाष-कुमार की अध्यक्षता में हुई इसमें 124/430 सदस्य उपस्थित हुए और इस बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रस्ताव संख्या:- 05

उत्पादन प्रमाण-पत्र देने को :-

ग्राम तथा ब्लॉक में विद्या-विर्मा उपलब्ध पोलिस स्थानों पर कि सीट खंड में लगभग नं 100 इंचों में रेल, बत्ती, पत्थर ग्राम कुआर सुख श्री सीता राम गोबिंद सिंह जं 0 पंचगाई जं 0 रेल जिला बिलासपुर (हि०प्र०) द्वारा रेल के उपयोग करने व प्राप्त आवेदन-पत्र उपलब्ध लगभग नं 3, 4, 5 जं 0 रेल बत्ती रंग, बुनशी रंग इत्यादि की जाँच में लोगों पर पंचायत को नोट उत्पादन नहीं है।

पूरी दुबलाव मुलकित उत्पन्न है।



सुभाष-कुमार

दिनांक.....

B. L. ...

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत गालियां
विकास खण्ड गालियां
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Shyam

SHYAM KUMAR THAKUR
(MINING CONTRACTOR)
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

पंजाप

पंजाप किया जाता है कि मीरा सर/123 पलना
गोहरी तहसील भण्डा जिला बिलासपुर हि. प्र.
के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बालीयाँ के अधीन रख-
रख गाँव है। उक्त गाँव राजस्व कागजात में
रख अलग गाँव है। तथा ग्राम पंचायत
बालीयाँ के अन्तर्गत आता है :-


ग्रामीण रजिस्ट्रार ऑफिस
पटवार वृत्त ~~...~~ तह. ~~...~~
जिला बिलासपुर (हि. प्र.)